समक्ष

श्री एस.एस. सोढ़ी माननीय न्यायमूर्ति

आजमू, - याचिकाकर्ता

बनाम

कलेक्टर, सोनीपत और अन्य - प्रतिवादी

1976 की सिविल रिट याचिका संख्या 7617

9 मई 1983.

पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट (1961 का XVIII) - धारा 7 - धारा 7 के तहत कार्यवाही शुरू की गई और खारिज कर दी गई - धारा 7 में उल्लिखित अन्य व्यक्तियों में से एक के कहने पर नई कार्यवाही शुरू हुई - बाद की कार्यवाही - चाहे पुनर्न्याय सिद्धांतों द्वारा वर्जित हो।

ये निर्धारित किया गया कि, पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1961 की धारा 7 की उप-धारा (1) को पढ़ने से पता चलता है कि सहायक कलेक्टर को किसी भी ऐसे व्यक्ति को बेदखल करने का अधिकार है, जिसने गलत तरीके से या अनधिकृत रूप से अधिनियम के तहत पंचायत में निहित भूमि पर कब्जा कर रखा है। इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए, सहायक कलेक्टर या तो स्वत: संज्ञान ले सकता है या (ए) पंचायत; (बी) गांव का निवासी; (सी) खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी; (डी) सामाजिक शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी या (ई) खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी- के आवेदन पर। ये कार्यवाही सहायक कलेक्टर द्वारा, पंचायत के लिए होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही किसके कहने पर की गई है। धारा 7 का यह अर्थ कि प्रत्येक व्यक्ति जिसके आवेदन पर, सहायक

कलेक्टर धारा 7 के तहत शक्ति का प्रयोग कर सकता है, पुनर्न्याय की दलील के संदर्भ में एक अलग पक्ष का गठन करता है, पुनर्न्याय के सामान्य सिद्धांतों के तहत सार्वजनिक नीति के सुस्थापित विचारों के विपरीत होगा। इस प्रकार, इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता है कि एक बार संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सहायक कलेक्टर द्वारा धारा 7 के तहत कार्यवाही की गई है, तो कार्रवाई के उसी कारण पर कोई दूसरा आवेदन सक्षम नहीं है, इस तथ्य के बावजूद कि धारा 7 में उल्लिखित अन्य व्यक्तियों में से किसी एक के कहने पर ऐसी बाद की कार्यवाही हुई थी।

(पैरा 6, 7 एवं 8)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है की:

(ए) सर्टिओरारी, परमादेश, निषेध या किसी अन्य उचित रिट, निर्देश या आदेश, जारी किया जाए जो उत्तरदाताओं संख्या 2 और 1 द्वारा पारित किये गए विवादित आदेशों, अनुलग्नक 'पी-1 और पी-2' क्रमशः, को रद्द करता है;

(बी) इस रिट याचिका के निपटारे के लिए मामले का रिकॉर्ड तलब किया जाये;

(सी) इस रिट याचिका की लागत भी याचिकाकर्ता को दी जाएगी;

(डी) अनुलग्नकों की प्रमाणित प्रतियों से छूट दी जाये।

आगे प्रार्थना की गई है कि याचिकाकर्ता को विवादित भूमि से बेदखल करने पर इस याचिका के निर्णय तक रोक लगाई जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से जे.एस. मलिक एडवोकेट।

पी.एस. कादियान एडवोकेट, ए.जी. हरियाणा की ओर से।

रोमेश हुडा एडवोकेट, एच.एस. हुडा, एडवोकेट, प्रतिवादी नंबर 3 के लिए।

निर्णय

श्री एस.एस. सोढ़ी माननीय न्यायमूर्ति -

(1) यहां उठाया गया विवाद पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1961 की धारा 7 के तहत कार्यवाही के लिए न्यायिक सिद्धांत के प्रयोज्यता के संबंध में है, जैसा कि हरियाणा राज्य पर लागू होता है (इसके बाद इसे अधिनियम के रूप में संदर्भित किया जाएगा)।

(2) इस मामले से संबंधित तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता-आजमू को ग्राम पंचायत/पंचायत द्वारा अधिनियम की धारा 7 के तहत कार्यवाही में उसके द्वारा रखी गई भूमि से बेदखल करने की मांग की गई थी। इस आवेदन को सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, सोनीपत ने अपने आदेश 2 दिसंबर, 1968 (अनुलग्नक पी-3) द्वारा खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता को उसी भूमि से बेदखल करने के लिए ग्राम पंचायत के एक अन्य आवेदन को सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, सोनीपत ने 30 जुलाई, 1970 के अपने आदेश (अनुलग्नक पी-4) द्वारा खारिज कर दिया था। बाद में, 22 सितंबर, 1975 को, उसी भूमि के संबंध में याचिकाकर्ता के खिलाफ अधिनियम की धारा 7 के तहत कार्यवाही फिर से शुरू की गई, इस बार होशियार सिंह और गांव के अन्य निवासियों के कहने पर। ये कार्यवाही 9 फरवरी, 1976 को सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ निष्कासन के आदेश पारित करने के साथ समाप्त हुई (अनुलग्नक पी-1)। अपील पर, सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के आदेश को कलेक्टर, सोनीपत ने 13 सितंबर, 1976 के अपने आदेश (अनुलग्नक पी-2) द्वारा बरकरार रखा था।

(3) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री जे.एस. मलिक द्वारा उठाया गया तर्क यह था कि विवादित आदेश अमान्य हो गए हैं क्योंकि अधिनियम के तहत कार्यवाही पर लागू न्यायिक निर्णय के सामान्य सिद्धांत, अधिनियम की धारा 7 के तहत दूसरे आवेदन पर रोक लगाते हैं। उन्होंने इस विवाद के समर्थन में **जी राम बनाम हरियाणा राज्य और अन्य**[1] का हवाला दिया, जहां यह देखा गया कि "पुनर्न्याय का सिद्धांत या दूसरे शब्दों में अंतर पक्षों द्वारा किसी निर्णय को अंतिम रूप देने का सिद्धांत सर्वविदित है। न्यायिक कार्यवाही और सार्वजनिक नीति पर आधारित होने के अलावा इसमें 'न्याय, समानता और अच्छे विवेक की मंजूरी' है।' यह माना गया कि पुनर्न्याय के सामान्य सिद्धांत

[1] 1980 पी.एल.जे.103।

अधिनियम की धारा 7 के तहत दूसरे आवेदन पर रोक लगाते हैं। इस निर्णय का बाद में बी.एस. ढिल्लों, न्यायमूर्ति ने **स्पालू बनाम हरियाणा राज्य और अन्य**[2] में पालन किया। इस प्रकार यह स्थापित हो गया है कि पुनर्न्याय के सामान्य सिद्धांतों के तहत उसी भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 7 के तहत बेदखली के लिए दूसरा आवेदन वर्जित होगा।

(4) हरियाणा के महाधिवक्ता की ओर से उपस्थित श्री पी.एस. कादियान ने यह तर्क देकर न्यायिक निर्णय की बाधा से बचने की कोशिश की कि सहायक कलेक्टर के समक्ष कार्यवाही के पक्षकार दो आदेशों अनुलग्नक पी-1 और पी-2 में परिणत हुए पिछली कार्यवाही के समान नहीं थे जिसमें आदेश अनुलग्नक पी-3 और पी-4 पारित किए गए थे। यहां संदर्भ इस तथ्य से था कि पहले की कार्यवाही में, अर्थात् जो आदेश अनुलग्नक पी-3 और पी-4 में समाप्त हुए, ग्राम पंचायत के कहने पर याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही की गई है, जबकि आक्षेपित आदेशों में पार्टी ग्राम पंचायत नहीं बल्कि गांव के कुछ निवासी थे। इस प्रकार तर्क यह था कि चूंकि पक्ष अलग-अलग थे, इस मामले में पुनर्न्याय के सिद्धांत लागू नहीं होते थे, भले ही संबंधित भूमि एक ही थी।

(5) उठाए गए विवाद की सुदृढ़ता की सराहना करने के लिए, अधिनियम की धारा 7 के प्रावधानों का संदर्भ दिया जा सकता है जिन्हें यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> "7. कुछ भूमियों पर पंचायतों को कब्ज़ा करने की शक्ति (1) - गाँव में अधिकार क्षेत्र रखने वाला प्रथम श्रेणी का सहायक कलेक्टर या तो स्वप्रेरणा से या पंचायत या गाँव के निवासी या ब्लॉक और पंचायत विकास अधिकारी या सामाजिक शिक्षा और पंचायत अधिकारी या ब्लॉक और पंचायत विकास अधिकारी द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी, ऐसी संक्षिप्त जांच करने के बाद जो वह उचित समझे और ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जो निर्धारित की जा सकती है, उस गांव के शामिलात देह में भूमि या अन्य अचल संपत्ति जो इस अधिनियम के तहत पंचायत में निहित है या निहित मानी जाती है, पर अनाधिकृत कब्जा करने वाले किसी भी व्यक्ति को बाहर कर देगा और पंचायत को कब्जा दे देगी और ऐसा करने के लिए सहायक

[2] 1981 पी. एल. जे. 229.

कलेक्टर प्रथम श्रेणी राजस्व न्यायालय की पंजाब किरायेदारी अधिनियम, 1887 के तहत भूमि के कब्जे के लिए डिक्री के निष्पादन के संबंध में शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

(6) अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) को पढ़ने से पता चलता है कि सहायक कलेक्टर को किसी भी ऐसे व्यक्ति को बेदखल करने का अधिकार है जो पंचायत में अधिनियम के तहत निहित भूमि पर गलत या अनधिकृत कब्जा कर रहा है। इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए, सहायक कलेक्टर स्वत: संज्ञान लेकर कार्य कर सकता है या (ए) पंचायत; (बी) गांव का निवासी; (सी) खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी; (डी) सामाजिक शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी या (ई) खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी के आवेदन पर कर सकता। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कार्यवाही सहायक कलेक्टर द्वारा, पंचायत के लिए होती है, चाहे किसी के भी कहने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जाती हो।

(7) यह सुस्थापित विचारों सार्वजनिक नीति, पुनर्न्याय के सामान्य सिद्धांतों के विपरीत होगा अगर धारा 7 का अर्थ यह लिया जाए कि प्रत्येक व्यक्ति जिसके आवेदन पर, सहायक कलेक्टर अधिनियम की धारा 7 के तहत शक्ति का प्रयोग कर सकता है, पुनर्न्याय के संदर्भ में एक अलग पार्टी माना जाए। इस तरह के संकुचन से असामान्य परिणाम सामने आएंगे। इसका तात्पर्य यह होगा कि, एक ही भूमि के संबंध में सहायक कलेक्टर द्वारा धारा 7 में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति के उदाहरण पर, एक ही व्यक्ति के खिलाफ और एक ही अवधि के लिए क्रमिक कार्यवाही की जा सकती है। यह तर्क, जब उल्लेखित ऐसा एक व्यक्ति "गांव का निवासी" है, तो इसका मतलब यह होगा कि अधिनियम की धारा 7 के तहत कार्यवाही गांव के प्रत्येक निवासी के कहने पर की जा सकती है। ऐसी स्थिति जो देखने में बहुत ही बेतुकी लगती है।

(8) इस प्रकार, इस निष्कर्ष से बचना संभव नहीं है कि एक बार धारा 7 के तहत सहायक कलेक्टर द्वारा संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की गई है फिर एक ही कारण पर कोई दूसरा आवेदन सक्षम नहीं है, इस तथ्य के बावजूद कि ऐसी बाद की कार्यवाही धारा 7 में उल्लिखित अन्य व्यक्तियों में से किसी एक के आवेदन पर थी। इसलिए, इसका मतलब यह है कि आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी-1 और पी-2) स्पष्ट रूप से न्याय के सिद्धांतों द्वारा वर्जित हैं और परिणामस्वरूप इन्हें

रद्द कर दिया जाता है। यह रिट याचिका स्वीकार की जाती है। हालाँकि, इन परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

आदित्य जैन

सिविल जज (जूनियर डिविजन) व प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

पानीपत, हरियाणा।